न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 163/2017

1. वकीलसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति रागढ़िया निवासी रड़ेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. बख्तावरसिंह पुत्र बुधसिंह जाति रागढ़िया निवासी रड़ेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट्स

बनाम

1. नायबसिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति रागढ़िया निवासी रड़ेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।
3. हरपालसिंह } पिसरान बख्तावरसिंह जाति रामगढ़िया निवासी रड़ेवाला तहसील
4. महमासिंह } श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
दिनांक 14.12.2015

उपस्थितः—

श्री कुलवंतसिंह संधू, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सतविन्द्रसिंह गिल अभिषक रेस्पों.
श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 29.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. 1 ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि चक 5 एफ के मुन. 19 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता था जो करीब 25–30 वर्षों से चालू था मगर अब वकील सिंह आदि द्वारा रास्ता बंद कर दिया। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जावें ।

अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी ने अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थी को पहले से ही रास्ता उपलब्ध है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 14.12.2015 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए उक्त रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले 5 बिस्वा भूमि अप्रार्थी को दिलाये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता है। विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की है। अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया। अधी. न्यायालय द्वारा जो रास्ता स्वीकार किया है वह उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा चालू रास्ता को बन्द कर दिया था जिसे स्वीकार करवाने हेतु रेस्पो. ने अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र पेश किया। रेस्पो. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अधी. न्यायालय द्वारा तहसील की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकार किया है एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अपीलांट को भूमि दिलायी है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील मूल रूप से अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 14.12.2015 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें रेस्पो. को अपनी खातेदारी भूमि पर जाने के लिये अधी. न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत किया जिसे इस आधार पर अपास्त करने का अनुतोष चाहा कि रेस्पो. के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. का यह कथन कि उसकी खातेदारी भूमि चक 5एफए के मुरब्बा नं. 25 में परम्परागत रूप से मु.नं. 19

में से आने–जाने के उपभोग लाते थे। परन्तु मु.नं. 19 के काश्तकारों ने इसे बन्द कर दिया। अतः परम्परागत रास्ते को स्वीकृत करने के लिए अधी. न्यायालय में प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्त.अधि. पेश किया जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट ली गई. पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट अनुसार मु. नं. 25 में कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं तथा रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा का अवलोकन किया। रेस्पों. को अपनी खातेदारी भूमि में पंहुचने के लिये जो रास्ता दर्शाया है वही अधी. न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया है, जो राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 251ए एवं इसकी कियान्विति हेतु बने राज.काश्त.अधि.(सरकारी नियम) 68. 69 की पूर्ण पालना होना प्रतीत होता है परन्तु नियम 70II(a) के प्रावधानुसार Specifically निर्देश दिया जाना उचित है। अतः राजस्थान स्टाम्प रूल्स 2004 के अनुसार रेस्पों. से जिला स्तरीय समिति द्वारा तय दर की दुगनी दर से मुआवजा रेस्पों. से अपीलांट को दिलाया जाना उचित है होने से दिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं साथ ही रास्ता दिये जाने से अपीलांट की कृषि भूमि से Removal of trees, crops or structure की भी कोई क्षति होती है तो उस वास्तविक Loss का निर्णय कर अपीलांट को दिलाया जाए इस विवेचन के साथ अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय के निर्णय में उपरोक्त Observation add किया जावे।

निर्णय दिनांक 29.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर